पार्किंग शुल्क 28.10.2024 से प्रभावी

PARKING CHARGES W.E.F. 28.10.2024

क. S.No.	वाहन के प्रकार Types of Vehicles	0 से 30 मिनट 0 to 30 minutes	30 मिनट से 120 मिनट तक From 30 minutes to 120 minutes	07 घण्टे तक (अतिरिक्त	
1.	दो पहिया Two Wheeler	10	15	5	45
2.	निजी कार / एसयूवी (07 सीटों तक) Private Car/SUV (upto 7 seats)	40	65	10	195
3.	प्रीमियम कार पार्किंग Premium Car parking	100	130	10	390
4.	वाणिज्यिक कार (ऐसे वाहन जो एएआई के अधिकृत लाइसेन्सधारी नहीं है) Commercial Car (Vehicles which are not Authorized Licensee of AAI)	48	98	10	294
5.	वाणिज्यिक कार (ऐसे वाहन जो एएआई के अधिकृत लाइसेन्सधारी है) Commercial Car (Authorized Licensee of AAI)	20	55	10	165
6.	टेम्पो / एसयूवी / मिनी बस (07 से ज्यादा सीटे) Tempo/ SUV/ Mini Bus (More than 07 seats)	80	130	10	390
7.	कोच / बस / ट्रक (पिक एंव ड्रॉप दोनो के लिए) Coach/ Bus/ Truck (for both pick and drop)	200	300	10	900

- 1 हवाई अड्डे के प्रवेश से निकास तक अनुमेय ठहरने का समय (कोई पार्किंग शुल्क नहीं) 5 मिनट।
- 1. Permissible Dwell Time (No Parking Charges) from Entry to Exit of the Airport 5 Minutes.
- 2. आगमन लेन पर पिक-अप के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क 60 रुपये (0 से 30 मिनट के लिए)। हालाँकि, टर्मिनल बिल्डिंग के सामने प्रतीक्षा करने की अनुमित नहीं है। राशि का भुगतान आगमन लेन में कार पार्किंग ठेकेदार को उचित धन रसीद के साथ किया जाएगा।
- 2. Charges for Commercial Vehicles coming for pick-up at Arrival Lane Rs.60 (for 0 to 30 minutes). However, no waiting is allowed in front of Terminal Building. The amount shall be paid in the Arrival Lane to the Car Parking Contractor with proper money receipt.
- 3. टर्मिनल बिल्डिंग के सामने -2पहिया और -3पहिया वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है।
- 3. Entry of 2-wheelers and 3-wheelers is strictly prohibited in front of Terminal Building.
- 4. आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 4. Penalty of Rs. 500 shall be charged in case of Violation of order.
- 5. मार्शल द्वारा जुर्माना वसूल किया जाएगा और उचित धन रसीद के साथ टर्मिनल मैनेजर को जमा किया जाएगा।
- 5. Penalty shall be collected by the Marshal and deposited to the Terminal Manager with proper money receipt.
- 6. नाइट पार्किंग वाहन के लिए, मालिक को कार पार्किंग प्रबंधक के निर्देशानुसार वाहन पार्क करना होगा और डीएल, आरसी की ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करनी होगी और चाबियाँ कार पार्किंग प्रबंधक को सौंपनी होंगी, ऐसा न करने पर कार पार्किंग प्रबंधक टर्मिनल प्रबंधक के साथ साथ माना ट्रैफिक पुलिस को भी सूचित करेगा। माना ट्रैफिक पुलिस वाहन को कार पार्क क्षेत्र से निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगी।
- 6. For Night Parking Vehicle, the owner must park the vehicle as per instruction of the Car Parking Manager and submit xerox copy of DL, RC and handover the keys to Car Parking Manager, failing which the Car Parking Manager intimate the Terminal Manager as well as Mana Traffic Police to tow the vehicle from Car Park Area to the nearest Police Station.
- 7. निजी वाहनों को भी केवल वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, व्हीलचेयर यात्रियों, गर्भवती महिलाओं, गोद में बच्चे के लिए आगमन लेन के सामने से पिक-अप करने की अनुमित है। किसी भी हालत में किसी भी वाहन को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने इंतजार करने की अनुमित नहीं है।
- 7. Private vehicles are also allowed to pick-up in front of Arrival Lane only for Senior Citizens, Physically Challenged persons, Wheelchair Passengers, Pregnant women, Baby on lap. No vehicle is allowed to wait in front of Terminal Building in any condition.

- 8. हितधारक, एयरलाइंस, रोजमर्रा के हवाई अड्डे के संचालन से संबंधित अन्य एजेंसियां कार पार्किंग ठेकेदार के साथ समन्वय कर सकती हैं और मासिक पास प्राप्त कर सकती हैं। बिना वैद्य पास के किसी भी वाहन को पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमित नहीं है।
- 8. Stakeholder, Airlines, other agencies related to day-to-day airport operations may coordinate with the Car Parking Contractor and obtain the Monthly pass. Without valid pass, no vehicle is allowed to enter into the Parking Area.